न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,जमवारामगढ़ बइजलास श्री विश्वामित्र मीना **R.A.S**

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
43/2019	03/04/2019	11/06/2019

— उनवान —

रामकल्याण पुत्र महादेव आयु 73 साल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम आंधी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

.... **प्रार्थी**

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

.............**अप्रार्थी**

उपस्थित अभिभाषक

श्री रमाशंकर शर्मा — **वकील प्रार्थी**

पेरोकार सरकार — **अप्रार्थी**

प्रार्थनापत्र बाबत् नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131,132,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

—:निर्णय :—

प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश किया प्रार्थी की शामलाती खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 936/1 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा ग्राम आंधी पटवार हल्का आंधी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित हैं जिसमें से 7 बिस्वा भूमि गै0मु0 सडक भूतल परिवहन मंत्रालय के नाम दर्ज हो जाने से खसरा नम्बर 936/1 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि शेष रही हैं। जो राजस्व नक्शे में तरमीमशुदा स्थित हैं उसी अनुसार प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त हैं। हाल किये गये सेटलमेंन्ट में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 936/1 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 1124 रकबा 0.9300 हैक्टेयर बनाये गये हैं। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 936/1 के नवीन खसरा नम्बरान 1124 पर पूर्वानुसार काबीज काश्त हैं। प्रार्थी कि उक्त भूमि के नक्शे में हाल किये सैटलमेन्ट में खसरा नम्बर 936/1 के नवीन खसरा नम्बर 1124 में पूर्व अनुसार तरमीम नहीं कर वास्तविकता के विपरीत खसरा नम्बर 936/1 के नवीन खसरा नम्बर 1124 को सिकोड कर रकबा कम कर राजस्व नक्शे में अवैध रूप से अंकित कर दिया गया हैं जो मौका स्थिति एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं हैं। नवीन खसरा नम्बर 1124 मौके पर कृषि भूमि हैं जिसमें सैटलमेन्ट विभाग ने अवैध रूप से खसरा नम्बर 1124 को पूर्व नक्शे अनुसार अंकित नहीं किया जबकी मौके पर खसरा नम्बर 1124 पर प्रार्थी पूर्वानुसार ही काबिज काश्त हैं। खसरा नम्बर 936/1 के नवीन खसरा नम्बर 1124 कि पूर्व नक्शे अनुसार दुरूस्ती कर प्रार्थी के कब्जे काश्तशुदा भूमि का नक्शा पूर्वानुसार दूरूस्त कर कायम किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थी ने उक्त दुरस्ती हेतु तहसीलदार जी जमवारामगढ़ को दिनांक 02-04-2019 को निवेदन किया जिस पर तहसीलदारजी ने निर्देश दिये एवं कहां कि यह मामला मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है उपखण्ड अधिकारी जी के न्यायालय में इस के लिए प्रार्थनापत्र पेश कर के ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता हैं इस कारण यह प्रार्थनापत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ।

....2

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन हैं कि ग्राम आंधी पटवार हल्का आंधी तहसील जमवारामगढ़ के गत् खसरा नम्बर 936/1 के नवीन खसरा नम्बर 1124 का पूर्वानुसार अंकन करते हुए पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त के अनुसार पूर्व नक्शे के अनुसार दूरूस्त कर नक्शा कायम किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित किया कि बिन्दू सं. 1 तथ्य रिकॉर्ड पर हैं। बिन्दू सं. 2 सत्य हैं। बिन्दू सं. 3 सत्य हैं। बिन्दू सं. 4 सत्य हैं। पूर्वानुसार कब्जा हैं। बिन्दू सं. 5 माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित हैं। बिन्दू सं. 6 न्याय संगत हैं। बिन्दू संख्या 7 सम्बन्धित नहीं हैं। बिन्दू सं. 8,9, 10 सम्बन्धित नहीं हैं। वादी के कब्जा काश्त की मेड पुरानी हैं। कोई तबदीली नहीं हैं। गत एवं हाल नक्शों को परस्पर अतिच्छादित करके देखने पर जाहिर होता हैं कि वर्तमान खसरा नम्बर 1124 को पूर्व नक्शे 936/1 की तुलना में छोटा बनाया गया हैं। दोनो नक्शों में परस्पर अन्तर को जवाब के संलग्न हाल नक्शें की प्रति में (............) खण्डित रेखा से दर्शाया गया हैं। अतः रिर्पोट श्रीमान की सेवा में अग्रीम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैं।

उभयपक्षो कि बहस सुनने व प्रतिवादी का जवाब व पत्रावली का अवलोकन करने पर हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः वादग्रस्त भूमि ग्राम आंधी पटवार हल्का आंधी तहसील जमवारामगढ़ के गत् खसरा नम्बर 936/1 के नवीन खसरा नम्बर 1124 का पूर्वानुसार अंकन करते हुए पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त के अनुसार पूर्व नक्शे के अनुसार दूरूस्त कर नक्शा कायम करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो

निर्णय आज दिनांक 11.06.2019 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्वा मित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2019.12.05 13:17:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: